<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
08.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 05.07.2025 को मैसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सैयद जियाजुर रहमान को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभियुक्त को माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशन कोर्ट, कोलकाता के समक्ष माननीय न्यायालय द्वारा जारी पेशगी वारंट के आधार पर पेश किया गया था। आरोपी को 14.07.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

सैयद जियाजुर रहमान मैसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की गई धोखाधड़ी वाली योजनाओं के पीछे मास्टरमाइंड हैं, जिसने निवेश पर 2 3% तक रिटर्न का वादा करके कई निवेशकों को अपनी मेहनत की कमाई को आरोपी व्यक्तियों को सौंपने के लिए लुभाया गया था। इस मामले में, मेसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों/सहयोगियों से जुड़े कई परिसरों में 22.05.2025 को पहले तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न बैंक खातों को फ्रीज किया गया, कई चल और अचल संपत्तियों की पहचान की गई, और दो आरोपियों -मोहम्मद अनारुल इस्लाम और दिलीप कुमार मैती को धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया।

यह मामला अत्यधिक दरों पर उच्च रिटर्न के झूठे वादों के आधार पर विभिन्न कंपनियों और फर्मों के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक निवेश की धोखाधड़ी से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने शेयर ब्रोकिंग और अन्य निवेश गतिविधियों के लिए सेबी के साथ पंजीकृत कंपनी मेसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड की आड़ में अवैध व्यवसाय का संचालन किया। हालांकि, उन्होंने जानबूझकर मेसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के समान नामों वाली कई अन्य फर्मों को चालू किया। निवेशकों को यह विश्वास करने के लिए गुमराह किया गया था कि वे सेबी-पंजीकृत कंपनी में निवेश कर रहे थे, जबकि धन वास्तव में एलएफएस ब्रोकिंग और पीएमएस सेवाओं और अन्य जैसी समान रूप से नामित फर्मों के लिए विपथित (डायवर्ट) किया गया था।

अब तक, आरोपी व्यक्तियों द्वारा जुटाई गई कुल राशि लगभग 1500 करोड़ रुपये की पहचान की गई है।

आगे की जांच चल रही है |

ड्राफ्ट ट्वीट:-

ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने उच्च रिटर्न के झूठे वादों पर कंपनियों/फर्मों के माध्यम से जनता से निवेश जुटाने के लिए पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 05.07.2025 को मैसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सैयद जियाजुर रहमान को गिरफ्तार किया है। इससे पहले माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी

सेशन कोर्ट, कोलकाता के समक्ष माननीय न्यायालय द्वारा जारी पेशी वारंट के आधार पर अभियुक्त को पेश किया गया था। आरोपी को 14.07.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।